

कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 2043/नातौ/अ-1/1/2005,

भोपाल दिनांक 2.6.05

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक,
/निरक्षक, नाप तौल, म.प्र.

विषय:- केटेगिरी - 2 के उपकरणों का मूल मुद्रांकन उपयोगकर्त्ताओं के संस्थान में करने बावत्।

विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि केटेगिरी - 2 से संबंधित उपकरणों का मूल मुद्रांकन उपयोगकर्ता के संस्थान के परिसर में ही किया जावेगा। एवं सत्यापन प्रमाण पत्र जिस संस्था के नाम से जारी होगा उसी के लिए वह वैधानिक माना जावेगा। अन्तर्राज्यीय सत्यापन एवं मुद्रांकन नियम 1987 में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के उपकरणों को पृथक-पृथक दर्शाया गया है तदनुसार पालन करें।

नियंत्रक
नाप तौल, मध्य प्रदेश
भोपाल